

अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये
विलम्ब का कारण।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन/राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण "मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019

अग्रहायण 18, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या क०नि०-2-1532/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(72)-2019

लखनऊ, 9 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

प०आ०-419

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की संस्तुतियों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-837/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(07)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

- (i) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"57क	0813	शुष्क इमली";
------	------	--------------

- (ii) क्रम संख्या 114 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और कप्स";
-------	----	---

2-यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. KA.NI.-2-1532/XI-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(72)-2019, dated December 9, 2019 :

No. KA.NI.-2-1532/XI-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(72)-2019

Dated Lucknow, December 9, 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification no. KA.NI.-2-837/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(07)-2017, dated 30th June, 2017, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in Schedule,-

- (i) *after* S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be *inserted*, namely :-

"57A	0813	Tamarinds dried";
------	------	-------------------

- (ii) *after* S. No. 114B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be *inserted*, namely :-

"114C	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/flowers/bark";
-------	----	---

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st October, 2019 .

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.